# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 136/2013 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 24.07.2013

1. श्री प्रवीण पुत्र स्व0 भंवरलाल मराठा (राजपूत) निवासी कुंचोली आयु 48 वर्ष पेशा–काश्त तहसील नाथद्वारा।
2. श्रीमती अन्नू पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी विजयराव मराठा राजपूत निवासी छोटी सादडी आयु 54 वर्ष हाल निवासी कुंचोली तहसील नाथद्वारा।
3. श्रीमती यशोदा पुत्री भंवरलाल पत्नी सुरेश राव मराठा निवासी छोटी सादडी आयु 50 वर्ष हाल कुंचोली तहसील नाथद्वारा।
4. श्रीमती आशा पुत्री भंवरलाल पत्नी दिनेश राव मराठा निवासी पालखेडी मंगलवाड आयु 46 वर्ष हाल कुंचोली तहसील नाथद्वारा।
5. श्रीमती राधा पुत्री भंवरलाल पत्नी शांतिलाल राव मराठा निवासी छोटीसादडी आयु 42 वर्ष हाल कुंचोली तहसील नाथद्वारा।
6. श्रीमती लक्ष्मी बाई बेवा भंवरलाल मराठा निवासी कुंचोली आयु 75 वर्ष पेशा आराम तहसील नाथद्वारा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विष्णु राव पिता स्व0 राधेश्याम मराठा निवासी पालखेडी मंगलवाड आयु 41 वर्ष तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती लक्ष्मी बाई पिता स्व0 राधेश्याम मराठा निवासी पालखेडी मंगलवाड आयु 45 वर्ष तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमती देउ बाई बेवा स्व0 राधेश्याम मराठा निवासी पालखेडी मंगलवाड आयु 65 वर्ष तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता विपक्षी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

: : आदेश : :

दिनांक :–16.07.2019

प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा की खाता सं. 179 की आराजी सं. 996 रकबा 0–08 बीघा, खाता सं. 180 की कुल आराजी किता 10 कुल रकबा 6–13 बीघा, खात सं. 14 आराजी सं. 995 रकबा 02–05 बीघा एवं खाता सं. 193 की आराजी सं. 990 रकबा 0–13 बीघा कृषि भूमिया स्थित है। पक्षकारान के खानदान का सजरा निम्न है:–

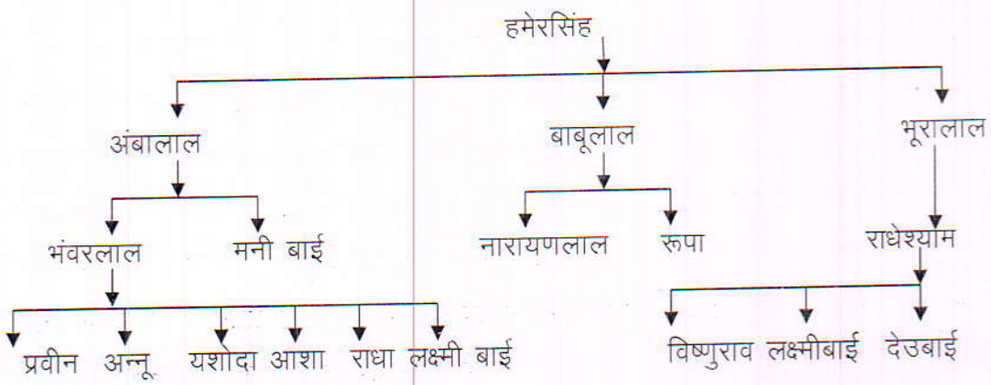


प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे वर्णित आराजीयात मोरूसी पैतृक कृषि भूमिया होर आदि पुरूष हमेरसिंह वल्द हिरसिंह राजपूत साकीन देह के खाते दर्ज होकर पुराने आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 12–08 बीघा लगानी 65.75 पैसा। पुराने रकबे और वर्तमान रकबे मे जरीफ की फेलावट से रकबा कम दर्ज हुआ है जबकि मौके पर प्रार्थीगण का पूरा के खाते मे 1/3 हक व हिस्सा दर्ज कर रखा है जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण का हक व हिस्सा 1/2 होकर 1/2 हक व हिस्से के खातेदार की घोषणा कराने के अधिकारी है। स्व0 भूरालाल से स्व0 खीमा पिता नाथू ने पुराने आराजी सं. 479 मे रकबा 2–19 बीघा एवं आराजी सं. 526 रकबा 0–17 बीघा क्रय कर ली तथा इसके साथ ही कुंऐ का हक व हिस्सा भी क्रय कर लिया, इस प्रकार दो आराजी क्रय करने से कुलिया आराजी मे स्व0 भूरालाल के वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही रहा है और रेकार्ड दुरूस्त नही होने के कारण अन्य आराजीयात मे स्व0 भूरालाल के वारिसो का नाम अंकित होने के कारण अवैधानिक तरीके से खुर्द–बुर्द कर रहे है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है इसलिये प्रार्थीगण इनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने पर पक्षकारान के मध्य अत्यधिक मुकदमेबाजी बढने की प्रबल संभावना है। प्रार्थीगण ने स्व0 भूरालाल के वारिसो विपक्षीगणो को विक्रय नही करने का निवेदन किया उसके बावजूद इनका कोई हक व हिस्सा नही होने पर जमीनो को खुर्द–बुर्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

कर रहे है इसलिये इनको वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की आज्ञा मांगी है इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। गत एवं हाल नम्बरान से प्रार्थीगण का हक व हिस्सा पूरा है मगर राजस्व रेकर्ड मे 1/3 का अंकन हुआ है जिसकी दुरूस्ती प्रार्थीगण कराने के अधिकारी है और वर्तमान मे प्रार्थीगण के पास 1/3 के स्थान पर 1/2 हक व हिस्सा दर्ज कराने एवं घोषणा कराने के हकदार है। विपक्षीगणो ने स्व0 भूरालाल से आधा हक व हिस्सा क्रय किया है एवं आधा हक व हिस्सा विपक्षीगण ने क्रय किया है इसलिये वाद मे आवश्यक पक्षकार है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा ता–फैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की धारा–3 मे वर्णित आराजीयात को रहन, बेह, बक्षीश नही करे न करावे खर्चा मुकदमा प्रार्थना पत्र व अन्य न्यायोचित दाद दिलाना फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी सं. 1 से 3 खातेदारी के अधिकारी है और राजस्व रेकर्ड मे उनके नाम पर अंकित है एवं सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति दोनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर विपक्षी सं. 1 से 3 के पक्ष मे है। कलम सं. 3, 4 5, 6 7, 8 एवं 9 मे दिये गये कथन को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की पैरा सं. 3 मे ख मे वर्णित कृषि भूमि मे 1/3 हक व हिस्सा ही है जबकि प्रार्थीगण गलत तथ्यो के आधार पर अपना 1/2 हक व हिस्सा बता रहे है जो किसी भी रूप मे स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खातेदारी के हक व हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार का हक नही है और प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता पक्षकारन उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता सं. 179 की आराजी सं. 996 रकबा 0–08 बीघा, खाता सं. 180 की कुल आराजी किता 10 कुल रकबा 6–13 बीघा मे प्रार्थीगण दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार है। खाता सं. 193 की आराजी सं. 990 रकबा 0–13 बीघा मे प्रार्थीगण के पिता भंवरलाल पिता अम्बालाल खातेदार होना प्रकट होता है एवं खाता सं. 14 मे प्रार्थीगण दर्ज खातेदार नही है। वादीगण के कथन अनुसार उसके हक–अधिकार उक्त वादग्रस्त आराजीयात मे है अथवा नही यह मूल वाद मे तय होगें। संयुक्त आधिपत्य की

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

कृषि भूमियो मे सभी खातेदार का दर्ज हिस्सेनुसार समान हक–अधिकार है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

**सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे जारी किये जाने से प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है और आदेश सुनाया जाता है:–

**आदेश**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा )
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द